राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान, रायबरेली

एन.आई.एफ.टी अधिनियम 2006 द्वारा शासित औरवस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित
(डिजाईन, प्रबंधन और टेक्नोलॉजी का एक प्रीमियर संस्थान)
शैक्षणिक मामले विभाग

9327(2)/AA/NIFT-RB/UP Govt. Scholarship/2023 **17** नवम्बर, 2023

परिपत्र

समस्त छात्र – छात्राओं को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु छात्रवृति के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिए है |

अतः निफ्ट के सामान्य/ओ०बी०सी०/एस०सी०/एस०टी०/अल्पसंख्यक श्रेणी के इच्छुक/पात्र छात्र-छात्राएं (जो स्कालरशिप हेतु योग्य है) अपने आवेदन फॉर्म दिनांक 10 दिसम्बर, 2023 तक ऑनलाइन जमा कर संस्था के "एकेडमिक अफेयर्स" विभाग में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति को मूल फॉर्म के साथ संलगन कर दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 तक भौतिक रूप में जमा कराना सुनिश्चित करे |

आवेदन हेतु निम्न जरुरी बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है :-

- उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए |
- सामान्य/ओ०बी०सी०/अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्राओं की वार्षिक पारिवारिक आय रु० 2,00,000/- तथा एस०सी०/एस०टी०/ श्रेणी के छात्राओं की वार्षिक पारिवारिक आय रु० 2,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- छात्र – छात्राओं के हाई-स्कूल अंकपत्र में दिए गए नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए | आधार नंबर छात्र – छात्राओं के बैंक खाते व मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए |
- छात्र – छात्राओं का 'डिजीलॉकर' में अकाउंट होना चाहिए तथा उनके समस्त शैक्षणिक अभिलेख/सर्टिफिकेट उस पर अपलोड होने चाहिए |
- छात्र – छात्राओं के आधार 'National Payments Corporation of India'(NPCI) पोर्टल पर बैंक द्वारा लिंक होना चाहिए |

छात्र-छात्राएं स्कालरशिप की जानकारी हेतु एकेडेमिक अफेयर्स व सी०ओ०ई० विभाग से संपर्क कर सकते है तथा अधिक जानकारी व छात्रवृति नियमावली हेतु उत्तर प्रदेश स्कालरशिप की वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in/ पर विजिट कर सकते है |

नोट:- छात्रवृति नियमावली में दिए गए प्राविधानों के तहत छात्र का आवेदन एक ही छात्रवृति हेतु संस्था द्वारा अग्रसारित किया जायेगा | अतः छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति हेतु एक ही विभाग में आवेदन करे |

नन्दन सिंह बोरा

(नंदन सिंह बोरा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि -

1. निदेशक, महोदय को सूचनार्थ |
2. सी०ए०सी० को सूचनार्थ |
3. एस०डी०ए०सी० को सूचनार्थ |
4. समस्त केंद्र समन्वयक को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित |
5. नोटिस बोर्ड |